

आउटकम बजट 2021-22

विभाग का नाम :- ऊर्जा विभाग (पिटकुल)

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0 - एस0डी0जी0-7

(धनराशि लाख रू0 में)

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजना के उद्देश्य | आउट ले/बजट | | 1-4-2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक) | 31-3-2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटपुट) वर्ष 2021-22 | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटकम) वर्ष 2021-22 | आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि |
|----------|---|--|------------|---------|---|--|--|---|-----------------------------|
| | | | राजस्व | पूँजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | उत्तराखण्ड इन्टीग्रेटीड ट्रांसमिशन सिस्टम (ए0डी0बी0 वित्तपोषित योजना) | उत्तराखण्ड इन्टीग्रेटीड ट्रांसमिशन सिस्टम के माध्यम से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्रों को आवंटित विद्युत परियोजनाओं के द्वारा उत्पादित ऊर्जा का सुचारु निष्कासन किया जाना है। | | 3625.10 | - | प्रस्तावित परियोजनाओं की पी0पी0आर0 पूर्ण कर ली गई है। डी0पी0आर0 प्रक्रियाधीन है। | उत्तराखण्ड इन्टीग्रेटीड ट्रांसमिशन सिस्टम एवम् उत्तराखण्ड के पारेषण तंत्र को सुदृढ करने हेतु प्रमुख परियोजनायें मुख्य है। | विभिन्न हाइड्रो परियोजनाओं द्वारा उत्पादित ऊर्जा सीधे प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ेगी तथा प्रदेश के उपभोक्ताओं को कम लागत की जल विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होगी। | 2024-25 |
| 2 | राज्य सेक्टर (आर0ई0सी0, नाबार्ड व पी0एफ0सी पोषित योजना) | आर0ई0सी0 तथा पी0एफ0सी0 पोषित योजनाओं के माध्यम से पारेषण लाईनों तथा उपसंस्थानों का निर्माण, सुदृढीकरण तथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्रों को आवंटित विद्युत परियोजनाओं के द्वारा उत्पादित ऊर्जा का सुचारु निष्कासन किया जाना है। | | 6800.01 | 3143.51 सर्किट कि0मी0 8524.50 एम0वी0ए0 | 3151.91 सर्किट कि0मी0 8704.50 एम0वी0ए0 नोट:- वर्तमान में दो नग उपसंस्थान तथा 08 नग ट्रांसमिशन लाईनें निर्माणाधीन है जिनकी क्षमता क्रमशः 130 एम0वी0ए0 व 375 सर्किट कि0मी0 है। | उत्तराखण्ड ट्रांसमिशन सिस्टम हेतु (आर0ई0सी0/पी0एफ0सी0/नाबार्ड वित्त पोषित योजना) राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत विभिन्न लाईनों एवम् उपसंस्थान के निर्माण कार्यों हेतु मुख्य परियोजनायें हैं। | विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा एवम् वोल्टेज में सुधार के साथ गुणवत्ता युक्त विद्युत आपूर्ति प्रदेश के उपभोक्ताओं को प्राप्त होगी। | 2022-23 |

आय-व्ययक वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत अनुदान संख्यावार की बजट मांग एवं स्वीकृत बजट

| क्र० सं० | योजना का नाम | अनुदान संख्या | | | अनुदान मद | बजट मांग (धनराशि रू० लाख में) | स्वीकृत बजट (धनराशि रू० लाख में) |
|---------------------------|--|---------------|--------------------|---------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | राज्य सैक्टर योजना (आर०ई०सी० वित्त पोषित योजनाओं के निर्माण हेतु) | 21 | सामान्य मद (78%) | अंशपूजी | 4801-05-190-04-60 | 0.01 | 6000.00 |
| 2 | | 21 | सामान्य मद (78%) | अंशपूजी | 4801-05-190-06-60 | 23735.76 | 0.01 |
| 3 | | 30 | एस०सी०एस०पी० (19%) | अंशपूजी | 4801-05-190-03-60 | 5781.79 | 600.00 |
| 4 | | 31 | टी०एस०पी० (3%) | अंशपूजी | 4801-05-190-05-60 | 912.90 | 200.00 |
| योग (राज्य सैक्टर) | | | | | | 30430.46 | 6800.01 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----|--------------------|---------|----------------------|----------------|----------------|
| 1 | वाह्य सहायतित योजना (ए०डी०बी० वित्त पोषित योजना) | 21 | सामान्य मद (78%) | अंशपूजी | 4801-05-190-97-01-60 | 3009.36 | 3009.36 |
| 2 | | 30 | एस०सी०एस०पी० (19%) | अंशपूजी | 4801-05-190-97-01-60 | 733.05 | 500.00 |
| 3 | | 31 | टी०एस०पी० (3%) | अंशपूजी | 4801-05-190-97-01-60 | 115.74 | 115.74 |
| कुल अंशपूजी | | | | | | 3858.15 | 3625.10 |
| योग (वाह्य सहायतित योजना) | | | | | | 3858.15 | 3625.10 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|
| कुल योग | | | | | | 34288.61 | 10425.11 |
|----------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|